If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairman; 2. Head of the Department, Dental, Safdarjung Hospital -Member; 3. Deputy Director (Administration), Safdarjung Hospital -Member.	Not necessary.

[F.No. A.11018/20/2006-RR]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 146.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती
सरन बाल चिकित्सालय (समूह- घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक इनका संबंध सफाईवाला/सफाईवाली,
चौकीदार/पहरेदार, माली, चपरासी/डाक रनर, दरबान, जमादार/सुपरवाइज़र, दफ्तरी के पद से है, उन बातों के सिवाय
अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
मंत्रालय के अधीन कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में बहु-कार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का
विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद(समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2020 है।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु-कार्य कर्मचारीवृंद	84 * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच आयु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले का पांगी उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से समतुल्य। **टिप्पण-1** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2** अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक प्रशासन, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक प्रशासन -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं.ए.12018/04/2017-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 7th October, 2020

G.S.R. 146 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital (Group 'D' posts) Recruitment Rules 1979 , in so far as they relate to the posts of Safaiwalas/Safaiwalies, Chowkidars/Watchman, Malies, Peons/Dak Runner, Darwans, Jamadars/Supervisors, Daftry, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in Kalawati Saran Children's Hospital ,New Delhi under Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Kalawati Saran Children Hospital, New Delhi, Multi-Tasking Staff (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi-Tasking Staff.	84* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial	Level- 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age. Relaxable for Government Servants upto age of forty years in the case of general candidates and up to the age of forty –five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note** : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , Tripura , Sikkim , Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	10th class pass from a recognised Board or Industrial Training Institute (ITI) equivalent. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children 's Hospital - Chairman; 2. Deputy Director Administration, Kalawati Saran Children 's Hospital, New Delhi - Member; 3. Deputy Director Administration looking after the work of Kalawati Saran Children's Hospital in Directorate General of Health Services - Member.	Not applicable.

[F. No. A.12018/04/2017-MH-II]
PREM NARAIN, Under Secy.